न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : आर. के. मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 45/2021 राजस्व अपील

1. रामलाल पुत्र स्व. श्री नथ्या
2. उम्मेद कुमार पुत्र स्व. श्री नथ्या
3. ओमप्रकाश पुत्र स्व. श्री नथ्या
4. चेतराम पुत्र स्व. श्री नथ्या
5. मिठ्ठूराम पुत्र स्व. श्री नथ्या

समस्त जाति बैरवा निवासी ग्राम संवास तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार तहसील सिकराय जिला दौसा।
2. नायब तहसीलदार सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश उप तहसीलदार सिकन्दरा दिनांक 22.11.2021 बाबत खसरा नम्बर 632/634 के संबंध में पारित किये गये।

उपस्थिति : श्री मनीष शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्ट्स उपस्थित।
: राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:– निर्णय :–

दिनांकः 03.01.2022

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम संवास तहसील सिकराय में स्थित आराजी खसरा नम्बर 632/634 रकबा 0.56 है. स्थित है। उक्त भूमि प्रार्थीगण के पूर्वज नथ्या व चाचा छोट्या की खातेदारी भूमि है। जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त आ रहा है तथा उक्त भूमि में प्रार्थीगण द्वारा पुख्ता आवास मकान, टीनशेड, पशुओं के बाडे बना रखे है तथा पशुओं के लिए छप्पर टीनशेड आदि डाल रखे है। इस प्रकार प्रार्थीगण उपरोक्त भूमि पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है परन्तु खातेदारी वर्तमान में नथ्या व छोट्या के नाम से दर्ज है। उक्त भूमि के कभी कोई रास्ता नहीं रहा उपतहसीलदार सिकन्दरा द्वारा अपीलान्ट्स को बिना कोई नोटिस दिये व सुनवाई व सबूत का मौका दिये बगैर ही अवैधानिक तरीके से दिनांक 22.11.2021 को आदेश पारित कर रास्ते से पक्की दीवार व झोपडी हटाने के आदेश दे दिये। उपतहसीलदार सिकन्दरा के आदेश दिनांक 22.11.2021 के विरूद्ध अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गई व उपतहसीलदार सिकन्दरा से प्रकरण से सम्बन्धित मूल पत्रावली तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा आराजी खसरा नम्बर 632/634 रकबा 0.56 है वाके ग्राम संवास में होकर रास्ता व पक्की दीवार व झोपडी हटाकर रास्ता चालू करने का अवैध आदेश पारित किया है। जिसके विरूद्ध

अति. जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 632/634 की खातेदारी अपीलान्ट के पूर्वज नथ्या व चाचा छोट्या के नाम दर्ज है। जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा पूर्वजो के समय से चला आ रहा है। उपतहसीलदार सिकन्दरा द्वारा मृतक व्यक्तियों के खिलाफ नोटिस जारी किये है व कार्यवाही की जा रही है। जो कतई अवैधानिक है क्योंकि मृत व्यक्तियों के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई कार्यवाही न तो की जा सकती है न चलाई जा सकती है। उपतहसीलदार सिकन्दरा द्वारा कार्यवाही व नोटिस जारी करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई सुनवाई व सबूत का अवसर नहीं दिया। खसरा नम्बर 632/634 में प्रार्थीगण अपीलान्ट्स के पुख्ता आवास, मकान, टीनशेड पशुओ के बाडे बना रखे है तथा पशुओं के लिये छप्पर, टीनशेड आदि डाल रखे है। उपरोक्त विवादित भूमि में होकर कभी कोई रास्ता ही नही रहा तो रास्ता चालू करने का कोई प्रश्न ही पैदा नही होता है। प्रथम तो मृत व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं करनी चाहिए थी एवं यदि किसी रास्ते की आवश्यकता है तो विधिवत रूप से धारा 151, 251 के अनुसार सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए थी। अपीलान्ट ने उक्त भूमि के सम्बन्ध में एक वाद सिविल न्यायाधीश सिकराय के न्यायालय में वाद व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा रामलाल आदि बनाम चिरंजीलाल आदि प्रस्तुत कर रखा है। जिसमे तहसीलदार सिकराय व उपतहसीलदार सिकन्दरा पक्षकार है। ऐसी स्थिति में भी उन्हे कोई आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है। वर्तमान जमाबन्दी में उक्त भूमि की खातेदारी नथ्या, छोट्या के नाम से दर्ज है तथा नक्शाशीट में भी किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर उपतहसीलदार सिकन्दरा का आदेश दिनांक 22.11.2021 बाबत् खसरा नम्बर 632/634 ग्राम संवास तहसील सिकराय के सम्बन्ध में पारित नोटिस व आदेश निरस्त फरमाने का निवेदन लिखित बहस प्रस्तुत कर किया गया।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा प्रश्नगत भूमि में होकर पूर्व से चालू रास्ते को अवरूद्ध किये जाने की स्थिति में सुखाचार के तहत बन्द रास्ते को खुलवाने हेतु नत्था, छोट्या पुत्रान मूल्या को नोटिस जारी किया गया है तथा प्रश्नगत आदेश दिनांक 22.11.2021 पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज फरमाई जावे।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत मृत व्यक्तियों के विरूद्ध नोटिस जारी किया जाना तथा प्रश्नगत भूमि अपीलान्ट्स के पूर्वजो की खातेदारी भूमि होना एवं अपीलान्ट्स को सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने के तथ्य को मध्यनजर रखते हुए प्रकरण रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.11.2021 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपतहसीलदार सिकन्दरा को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलान्ट्स को सुनवाई का अवसर दिया जाकर एवं सम्बन्धित रिकॉर्ड का गौरपूर्वक अवलोकन कर विधिसम्मत निर्णय पारित कर कार्यवाही सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति के साथ मूल पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(आर. के. मीना)
अति० जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 3.1.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर में इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया

(आर. के. मीना)
अति० जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official